संख्या-13 /2017/176/30-3-17-6बी/2014

प्रेषक,

सीताराम यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु पब्लिसिटी वैन द्वारा परिक्षेत्रों में किये गये प्रचार-प्रसार के माह नवम्बर/दिसम्बर 2016 के बिल धनराशि रू0 29,80,800/- के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-58स0सु0/2017-116स0सु0/2015, दिनॉक 17-01-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सड़क सुरक्षा के कार्यों हेतु पब्लिसिटी वैन द्वारा परिक्षेत्रों में किये गये प्रचार-प्रसार के माह नवम्बर/दिसम्बर 2016 के बिल भुगतान हेतु प्राप्त प्रस्ताव/आणन के परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 29,80,800/- के भुगतान (रू0 उन्तीस लाख अस्सी हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के लिये प्रावधानित धनराशि रू० 10,000 हजार (रू0 एक करोड़ मात्र) से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु संस्था-श्रीराम होरिजन्स लि0 से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) उक्त कार्य में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त उ0प्र0 का होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

संख्या-13/2017/176(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित संस्था-श्रीराम होरिजन्स लि0 306 चिन्टल हाउस 16 स्टेशन रोड लखनऊ - 226001
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।